न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, बिधूना, औरैया।

परिवाद संख्या–4196/2025(18/22)

CNR No. UPAU120062362025

अजय राजपूत बनाम शशिवेन्द्र उर्फ सस्वेन्द्र आदि।

थाना बिधूना, जिला औरैया।

दिनांक–28.10.2025

पत्रावली आदेशार्थ नियत है। प्रार्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को बहस तलबी के बिन्दु पर पूर्व में सुना जा चुका है।

परिवादी का संक्षेप में कथन है कि प्रार्थी की बहन ज्योति का विवाह दिनांक 15.06.2020 को विपक्षी शशिवेन्द्र उर्फ सस्वेन्द्र पुत्र महेन्द्र सिंह राजपूत के साथ हिन्दू रीति–रिवाज से सम्पन्न हुआ था। प्रार्थी की बहन की शादी में प्रार्थी व उसके माता–पिता ने सात लाख रुपये खर्च किया था, जिसमें पांच लाख रुपये नकद व दो लाख घर गृहस्थी का सामान तथा जेवरात दिया था, जिसमें सोने की जंजीर विपक्षी सं0 2 महेन्द्र सिंह, तीन सोने की अंगूठी, एक जोड़ी कुण्डल, डबल बैड, अलमारी, फ्रिज, कूलर, कुर्सी सेट, सिलाई मशीन, एलसीडी, बर्तन, कपड़े इत्यादि सामान दिया था। विपक्षीगण दिये गये दान दहेज से सन्तुष्ट नहीं थे तथा अतिरिक्त दहेज में एक पल्सर मोटर साइकिल की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर प्रार्थी की बहिन ज्योति की विदा कराने से इन्कार कर दिया तथा रिश्तेदारों के समझाने पर विदा कराकर अपने साथ घर पर ले गये। विवाह के बाद से प्रार्थी की बहन पर पल्सर मो0सा0 का दिलाने के लिए दबाव बनाने लगे। प्रार्थी की बहन ने इसकी सूचना अपने माता–पिता को दी। प्रार्थी पर शादी में ही काफी कर्जा हो गया। विपक्षीगण ने चौथी की विदा करने से इन्कार कर दिया। प्रार्थी व उसके पिता ने रिश्तेदारों को बुलाकर पंचायत करायी, तब प्रार्थी की बहिन ज्योति की चौथी की विदा हो सकी। प्रार्थी की बहिन पुनः विदा होकर ससुराल गयी, तो विपक्षीगण का व्यवहार ज्योति के विरुद्ध क्रूर हो गया और बात–बात पर प्रार्थी की बहिन ज्योति के साथ मारपीट करने लगे तथा घरेलू हिंसा कारित करने लगे। दिनांक 23.03.2021 को रात के भोजन में विपक्षीगण ने जान से मारने की नीयत से जहर मिला दिया, जिससे प्रार्थी की बहिन ज्योति की रात में तबियत खराब हो गयी। प्रार्थी की बहिन ज्योति ने उसी समय पिता को फोन से जानकारी दी, तो प्रार्थी व उसके पिता रात को ही ज्योति की ससुराल पहुंचे। जब मैंने विपक्षीगण के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट करने की धमकी दी, तब विपक्षीगण प्रार्थी की बहिन को तिर्वा अस्पताल ले गये, लेकिन आराम न मिलने पर अल्का हॉस्पिटल रावतपुर, कानपुर नगर में भर्ती कराया, जहां ज्योति का पांच दिन तक इलाज चला। विपक्षीगण प्रार्थी की बहिन को मारकर दूसरा विवाह करना चाहते हैं। इसलिए प्रार्थी की बहिन दिनांक 01.04.2021 को पिता के साथ मायके आ गयी। विपक्षीगण ने प्रार्थी की बहिन ज्योति का सारा जेवरात व कपड़ा इत्यादि सामान अपने कब्जे में ले लिया। विपक्षीगण ने ज्योति को धमकी दी कि यदि कहीं शिकायत की, तो कुछ भी नहीं देंगे। प्रार्थी की बहिन ने थाने में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक, औरैया को रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः उपरोक्त परिस्थितियों के आधार पर विपक्षीगण को तलब किये जाने की कृपा करें।

परिवादी ने अपने कथनों के समर्थन में धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अपने बयानों में सशपथपूर्वक कथन किया है कि ''उसकी बहन ज्योति की शादी दिनांक 25.06.2020 को शशिवेन्द्र के साथ हुई थी। विवाह में पल्सर की मांग ज्योति के ससुराल वालों ने की थी, जो हम पूरी

Digitally signed by PRAVEEN SINGH
Date: 2025.10.28 17:24:47 IST
Reason: Order
Location: CJJD/JM Outlying Court, Bidhuna

नहीं कर पाये, तो बड़ी मुश्किल से ज्योति की विदा हुई। चौथी के बाद से ज्योति को पति शशिवेन्द्र, ससुर महेन्द्र, सास माधुरी, देवेन्द्र शैलेन्द्र ननदें दोनों परेशान करती थी, ये ज्योति ने मुझे फोन करके बताया। दहेज में पल्सर के लिए दबाव बनाते, मारपीट शशिवेन्द्र करते थे, ये ज्योति ने बताया। दिनांक 23.03.2021 को ज्योति के रात के खाने में ससुराल में किसी ने जहर मिला दिया, जब हालात खराब हुई, तो रात में ज्योति ने खुद पिताजी को फोन करके सूचना दी। मैं और पिताजी वहां गये, तो ज्योति की हालत बहुत खराब थी, तो हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे थे, जब मैंने थाने में रिपोर्ट करने की धमकी दी, तो तिर्वा हॉस्पिटल ले गये। डॉक्टर ने कानपुर रेफर किया, जहां पांच दिन तक इलाज चला। सारा जेवर, कपड़ा ज्योति के ससुराल वालों ने ले लिया। ज्योति ने मांगा, तो इन लोगों ने इन्कार कर दिया। दिनांक 01.04.2021 को वह ज्योति को अपने घर पर ले आया, तब से घर पर ही है।''

परिवादी ने अपने कथनों के समर्थन में धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत परिवादी ने स्वयं को तथा धारा–202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 ज्योति/पीड़िता व पी0डब्ल्यू0–2 चन्द्रप्रकाश को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने परिवादिनी के कथनों का समर्थन किया है।

प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में परिवादी द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, औरैया को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, शपथ पत्र, मूल रजिस्ट्री रसीद दाखिल किये गये हैं।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद, परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 एवं साक्षीगण पी0डब्ल्यू0–1 ज्येाति व पी0डब्ल्यू0–2 चन्द्रप्रकाश के बयान अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के समेकित अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि विपक्षीगण द्वारा उसकी बहन ज्येाति के साथ शादी के बाद से अतिरिक्त दहेज में पल्सर मोटर साइकिल की मांग करते थे तथा मारपीट करते थे। जहां तक परिवादी द्वारा अपने परिवाद में उसकी बहन जोति को भोजन में जहर दिये जाने का कथन है, तो इसके सम्बन्ध में परिवादी द्वारा कोई चिकित्सीय प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उसकी बहन को खाने में जहर दिया गया है। ऐसे में विपक्षीगण शशिवेन्द्र उर्फ सस्वेन्द्र, महेन्द्र सिंह राजपूत, श्रीमती माधुरी, शैलेन्द्र उर्फ रिन्कू, कु0 प्रीती व कु0 पूजा के द्वारा धारा–498ए, 323 भा0दं0सं0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध कारित किया जाना प्रतीत होता है। तद्नुसार विपक्षीगण शशिवेन्द्र उर्फ सस्वेन्द्र, महेन्द्र सिंह राजपूत, श्रीमती माधुरी, शैलेन्द्र उर्फ रिन्कू, कु0 प्रीती व कु0 पूजा के विरूद्ध धारा–498ए, 323 भा0दं0सं0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत तलब किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्तगण शशिवेन्द्र उर्फ सस्वेन्द्र, महेन्द्र सिंह राजपूत, श्रीमती माधुरी, शैलेन्द्र उर्फ रिन्कू, कु0 प्रीती व कु0 पूजा के विरूद्ध **धारा–498ए, 323 भा0दं0सं0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादी आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करे। अभियुक्तगण को सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 02.12.2025 को पेश हो।

(प्रवीण सिंह)
सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0,
बिधूना, औरैया।
J.O. Code: UP3441